न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 44/2019-20

प्रथम पक्ष – दयानन्द महतो पिता मनीजर महतो
ग्राम–गनालोया, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी।

द्वितीय पक्ष – अंचल अधिकारी, खूँटी।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
22.12.20	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–69R27/19-20 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.06.19 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित हैः–	

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
खूँटीटोली	खूँटी 80	20	73	0.03

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपीलकर्त्ता को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि मौजा–खूँटी टोली, थाना–खूँटी के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 0.03 एकड़ है जिसे आवेदक ने लक्ष्मीनाथ महतो पिता स्व0 घुरा महतो ग्राम तोरपा रोड, खूँटी टोली, थाना खूँटी से विक्री केवाला पट्टा सं0 597 दिनांक 13.03.2019 से क्रय किया है।

अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि सर्वे खतियान में अनुसूचित जाति की भूमि है एवं विक्रेता अन्य जाति के सदस्य होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन किया एवं पाया कि निबंधन बिक्रय पट्टा दिनांक 13.03.2019 को निष्पादित है। उपरोक्त भूमि सर्वे खतियान में अनुसूचित जाति की भूमि है जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) Proviso(b) से प्रभावित है। बिक्री हेतु सक्षम न्यायालय से अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है।

अतः अपील वाद अस्वीकृत की जाती है। अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश को यथावत रखी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

22/12/20
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

22/12/20
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।